प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 04.02.2026

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा पॉक्सो अधिनियम के अभियोग में 01 अभियुक्त को हिरासत में लिया गया।

आज दिनांक 04.02.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील कृत्य करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त राशिद पुत्र यामीन निवासी छोटा बिजली घर रावली रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष को हिरासत में लिया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त राशिद उपरोक्त ने पूछताछ करने पर घटना को स्वीकार करते हुए बताया कि उसने वादी की नाबालिग पुत्री को लालच देकर बहला-फुसलाकर अपने पास बुलाया तथा मौका पाकर उसके साथ अश्लील कृत्य कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त राशिद पुत्र यामीन निवासी छोटा बिजली घर रावली रोड थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

कार्यवाही करने वाली टीम –

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया, कब्जे से घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण:-आज दिनांक 04.02.2026 को वादी श्री एहसान पुत्र मुस्ताक अली निवासी हाउसिंग कम्पलैक्स छावडा कालोनी ने थाना शालीमार आकर लिखित तहरीर दी और बताया कि 03/04.02.2026 की रात्रि को मेरा बेटा कासिद घर वापस आ रहा था तभी रास्ते में उसे रहमान,फरमान व सज्जन ने जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया जिससे मेरे बेटे को गम्भीर रुप से घायल और लहू-लुहान होकर गिर गया जिसे जीटीबी अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्ड़न धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में थाना शालीमार गार्ड़न पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त सज्जन खां पुत्र कौसर खां निवासी N-17 छावडा कालोनी थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 56 वर्ष को घटना मे प्रयुक्त 01 चाकू के साथ जीजी फार्म हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ के दौरान बताया कि कल दिनांक 03/04.02.2026 की रात्रि मे लगभग 3 या 3.30 बजे के आस-पास छावडा चौंक के पास लाला समोसे वाले की दुकान के सामने कासिद द्वारा मेरे

ऊपर सिगरेट का धुँआ छोड दिया था जिससे मेरा झगडा हो गया था और जब कासिद हमारे घर के सामने से जा रहा था तभी उस पर हम लोगो ने चाकू से हमला कर दिया था। साहब गलती हो गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सज्जन खां पुत्र कौसर खां निवासी **N-**17 छावडा कालोनी थाना शालीमार गार्डन उम्र करीब 56 वर्ष।
2. 01 बाल अपचारी (पुलिस अभिरक्षा में)

बरामदगी का विवरणः-

- घटना मे प्रयुक्त 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन हत्या के प्रयास करना व आर्म्स एक्ट के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।